

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 25/2025

जीसीएमएस नम्बर : 2025/265

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
रतनलाल सोलंकी पुत्र स्व. मुन्नीलाल मेवाड़ा निवासी ग्राम जवाली तहसील रानी जिला पाली		1. सुदर्शन सोलंकी पुत्र हिरालाल सोलंकी निवासी 26 गजानन्द मार्ग, पाली 2. ग्राम पंचायत जवाली जरिये सरपंच ग्राम पंचायत जवाली तहसील रानी जिला पाली

“पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994”

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह चौहान।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री जगदीश प्रजापत।

-: निर्णय :-

दिनांक : 30/12/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 133/2022 अनवान सुदर्शन सोलंकी बनाम रतनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2025 के विरुद्ध पेश की है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मूल निगरानी प्रकरण संख्या 133/2022 तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि मूल निगरानी में निगरानीकर्ता सुदर्शन सोलंकी की कोई लोकस्टान्डाई नहीं है और वह प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति भी नहीं है। निगरानी पेश करने से पूर्व ग्राम पंचायत को 2 माह का नोटिस दिया जाना चाहिये था जो कि नहीं दिया गया। अप्रार्थी ने मूल निगरानी 20 वर्ष बाद पेश की, जो कि म्याद बाहर है। निर्णय दिनांक 19.05.2025 में मूलभूत तथ्यों की भूल की गई है तथा सभी दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन नहीं किया गया। जैर निगरानी भूमि का पट्टा वर्ष 1957 में सोहनलाल के बाल्यकाल में पिताजी मुन्नालाल द्वारा मिसल संख्या 8 दिनांक 30.05.1957 को ग्राम पंचायत से पट्टा संख्या 3 बनवाया था एवं भूमि पर निर्माण करवाया। इसके पश्चात् वर्ष 1984 में इसी भूमि का पट्टा संख्या 23/1984-85 सोहनलाल के नाम से बनाया गया। सोहनलाल ने बंटवाड़ा दिनांक 01.08.2002 एवं हीरालाल माता सुखीया ने सहमति पत्र दिनांक 10.08.2003 के द्वारा उक्त मकान बंटवाड़े में रतनलाल सोलंकी को प्राप्त हुआ है, जिसका एकमात्र मालिक रतनलाल है और यदि उस मकान का रतनलाल ग्राम पंचायत से पट्टा बनाता है तो सोहनलाल, सुखीसा, हीरालाल को



*(Handwritten signature)*

कोई आपत्ति नहीं है। अतः नया पट्टा प्रार्थी के नाम होते ही पुराना पट्टा स्वतः निरस्त हो गया है। उक्त निर्णय में विधि के स्थापित नियमों के प्रतिकूल, रेकॉर्ड पर विद्यमान उपलब्ध दस्तावेजी सबूतों की अनदेखी, अवहेलना करने सिर्फ अप्रार्थी को फायदा पहुँचाने के उद्देश्य से पारित किया गया है। अतः पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार मूल निगरानी में ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टा संख्या 6174 को यथावत् रखे जाने के आदेश प्रदान करावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं ने यह अंकित किया कि अप्रार्थी, प्रार्थी से किस तरह से हितबद्ध व्यक्ति है और प्रार्थी स्वयं की यह स्वीकारोक्ति है कि पूर्व में जारी पट्टे पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत को पूर्व में जारी पट्टे पर पुनः पट्टा जारी करने का कोई अधिकारी नहीं है, ऐसे पट्टे पोषणीय नहीं है। उभयपक्ष आपस में पारिवारिक सदस्य है, इसलिये अप्रार्थी प्रकरण में हितबद्ध व्यक्ति है। ग्राम पंचायत ने पंचायतीराज नियमों के विपरीत पट्टा जारी किया जिसे न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में खारिज किया गया, जो कि विधिसम्मत है। न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण तथ्यों पर परिक्षण करने के उपरान्त विधिनुसार अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं की है। प्रार्थी ने गलत तथ्यों के आधार पर पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल निगरानी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 133/2022 अनवान सुदर्शन सोलंकी बनाम रतनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2025 के विरुद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य बिन्दु यह था कि अप्रार्थी हितबद्ध व्यक्ति नहीं है और निगरानी याचिका 20 वर्ष के बाद प्रस्तुत की गई थी तथा अप्रार्थी ने पंचायतीराज अधिनियम की धारा 109 के तहत ग्राम पंचायत को दो माह का नोटिस भी जारी नहीं किया। अधिवक्ता प्रार्थी के उपरोक्त तथ्यों के सम्बन्ध में यह स्पष्ट करना चाहेंगे मूल निर्णय दिनांक 19.05.2025 में उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में विस्तार से वर्णन किया गया है, इसके अतिरिक्त इन तथ्यों के सम्बन्ध में न्यायालय हाजा यह भी पाता है कि जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरुद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court Chimna lal vs State of Rajasthan and others के अनुसार When no period of limitation is provided then in our opinion the same has to be exercised within a reasonable time and that will depend upon facts and circumstances of each case like ; (i) when there is fraud played by the parties; (ii) the orders are obtained by mis-representation or collusion with public officers by the private parties; (iii) Orders are against the public interest; (iv) the orders are passed by the authorities who have no jurisdiction; (v) the order are passed in clear violation of rules or the provisions of the Act by the authorities; and (vi) void orders or the orders are void ab initio being against the public policy or otherwise. The common law doctrine of public policy can be enforced wherever



*[Handwritten signature]*

an action affects/offends the public interest or where harmful result of permitting the injury to the public at large is evident. In such type of cases, revisional powers can be exercised by the authority at any time either suo moto or as and when such orders are brought to their notice. इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2018(2)DNJ (Raj.) 497 Usha Jugtawat vs State of Rajasthan Thro' Additional District Collector (Land Conversion) Jodhpur & Ors. में यह उल्लेख किया गया कि No limitation for exercising the revisional jurisdiction if pattas were issued in illegal manner and committing fraud. साथ ही न्यायिक दृष्टान्त 2015 (1) DNJ 443 Looni Devi & 10 Ors. vs State of Rajasthan & Ors. में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि "Allotment obtained by playing fraud is void and no limitation for setting aside of such void allotment." राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में निगरानी से सम्बन्धित कोई विशेष समय सीमा या सीमित समय का उल्लेख नहीं है। हस्तगत प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2000 (2) RLW 911 (FB) Raj. High Court में प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार जब किसी अधिनियम में कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, तो वह प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा तथा वर्णित 6 प्रकार की कार्रवाई को अवैध माना एवं इस प्रकार के मामलों में, प्राधिकरण द्वारा किसी भी समय पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है या जब भी ऐसे आदेश उनके ध्यान में लाए जाते हैं। साथ ही में विद्वान वकील के इस तर्क पर आते हुए कि लगभग 20 वर्ष के अस्पष्ट विलम्ब के बाद जारी किए गए जैर निगरानी पट्टे को चुनौती देने के लिए दायर याचिका को केवल इसी आधार पर खारिज कर दिया जाना चाहिए था, यह कहना पर्याप्त है कि किसी वैध अधिकार के बिना प्राप्त जैर निगरानी पट्टे को रद्द करने के लिए सक्षम प्राधिकरण के रास्ते में कोई सीमा नहीं आनी चाहिए। इसलिये प्रकरण में म्याद कण्डोन करते हुये निगरानी श्रवणार्थ ग्रहण करना विधिनुसार है। साथ ही राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 109 के अनुसार पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् के विरुद्ध वाद आदि किसी भी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के निदेश के अधीन कार्य कर रहे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध उसकी पदीय हैसियत में इस अधिनियम के अधीन की गयी या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी भी बात के लिए कोई भी वाद या अन्य सिविल कार्यवाही के तहत दो माह के नोटिस का प्रावधान है जबकि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के तहत निगरानी प्रस्तुत की थी और धारा 109 के प्रावधान निगरानी में लागू नहीं होने से ग्राम पंचायत को 2 माह पूर्व नोटिस दिये जाने के कोई प्रावधान नहीं है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा स्वयं अपने पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि उक्त भूमि सुखीया पत्नी स्व. मुन्नीलाल एवं उनके पुत्र हीरालाल सोलंकी के पारिवारिक बंटवाड़े से सम्बन्धित है। इससे यह तथ्य निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि विवादित भू-खण्ड पुश्तैनी/संयुक्त पारिवारिक सम्पत्ति है। प्रार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि अप्रार्थी सुदर्शन सोलंकी, हीरालाल सोलंकी का पुत्र है, अर्थात् वह उसी संयुक्त परिवार का सदस्य है जिससे भूमि सम्बन्धित है। यह स्वीकारोक्ति स्वयं प्रार्थी के कथनों से प्रमाणित है,



820

इसके पश्चात किसी अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता भी नहीं रह जाती है। मूल निगरानी याचिका अप्रार्थी सुदर्शन सोलंकी द्वारा पारिवारिक सदस्य होने के नाते प्रस्तुत की गई थी। चूंकि भूमि पुश्तैनी है और पारिवारिक बंटवारे से उत्पन्न है, इसलिये अप्रार्थी का उसमें हितबद्ध व्यक्ति होना स्वाभावित एवं विधिसम्मत है। पंचायती राज अधिनियम की धारा 97 के अनुसार कोई भी हितबद्ध व्यक्ति ग्राम पंचायत के किसी आदेश या विनिश्चय के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। चूंकि अप्रार्थी पारिवारिक सदस्य है, पुश्तैनी सम्पत्ति से सम्बन्धित है और मूल निगरानी उसी आधार पर प्रस्तुत की गई, अतः वह धारा 97 के अन्तर्गत पूर्णतः हितबद्ध व्यक्ति की श्रेणी में आता है। इसलिये मूल निगरानी में न्यायालय हाजा द्वारा सुदर्शन सोलंकी को हितबद्ध व्यक्ति मानना विधि, तथ्यों एवं स्वयं प्रार्थी के स्वीकारोक्त कथनों के अनुरूप है इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है।

हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी की यह स्वीकारोक्ति है कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में मिसल संख्या 8 दिनांक 30.05.1957 के द्वारा मुन्नालाल के पक्ष में पट्टा संख्या 3 एवं वर्ष 1984 में सोहनलाल के पक्ष में पट्टा संख्या 23 जारी किया है और यही कथन रतनलाल सोलंकी के द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में किये गये थे अर्थात् प्रार्थी ने ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व से जारी पट्टा सुदा आराजी का पुनः पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन पेश किया था। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, में प्रदत्त नियमानुसार किसी भूमि का एक बार पट्टा जारी होने के पश्चात्, जब तक उस पट्टे को सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया जाता उसी भूमि का पुनः पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। यदि कोई तथ्य प्रार्थी द्वारा स्वीकार किया गया हो तो उस तथ्य को पुनः साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त RLW 2003(3) Raj. 1891 Madan lal vs Legal Representatives of Late Ram Prasad के अनुसार Evidence Act, 1872, Sec. 58-Facts admitted need not be proved-When there is a very specific and categorical admission of fact of the parties then that admission can be used against the party making the admission. उपयुक्त समस्त तथ्यों से यह सुस्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टे की भूमि पर ही जारी किया गया था। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अनुसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आवंटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की। इसी प्रकार AIR 1998 Raj Page 282 श्रीमती सरोज बनाम ग्राम पंचायत व अन्य में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि “पूर्व में जारी पट्टे के अस्तित्व में रहते उसी भूमि पर दुसरा पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं।” पंचायत नियमानुसार ग्राम पंचायत को किसी भूमि का एक बार ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, उसी भूमि का पुनः पट्टा केवल तभी जारी किया जा सकता है जब पूर्व का पट्टा किसी सक्षम प्राधिकारी



*[Handwritten signature]*

द्वारा निरस्त कर दिया गया हो। पारिवारिक बंटवाड़ा किसी निजी अधिकारों का निर्धारण करता है, उक्त बंटवाड़े से ग्राम पंचायत द्वारा जारी वैधानिक पट्टा स्वतः निरस्त नहीं होता। कोई भी वैधानिक आदेश या दस्तावेज तब तक प्रभावी रहता है जब तक उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत निरस्त न कर दिया जाए। ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में जारी पट्टे के वैध रहते हुए उसी भूमि पर जारी किया गया दूसरा पट्टा अधिकार क्षेत्र से परे है। नया पट्टा अधिकार क्षेत्र से परे जारी किया गया है, जिससे पूर्व पट्टा स्वतः शून्य नहीं होता। अतः न्यायालय हाजा द्वारा मूल निगरानी में पारित निर्णय विधिनुसार है।

हस्तगत प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी का यह उज्र कि ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों में वर्णित सम्पूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हुये विधिनुसार पट्टा जारी किया गया है,। इस सम्बन्ध में मूल पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि प्रश्नगत मिसल में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि किन-किन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जायेगा। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब किसी कार्यवाही को विशेष व्यक्तियों (पंचों) द्वारा सम्पन्न कराया जाना हो, तो उन व्यक्तियों का स्पष्ट नामांकन आदेश में किया जाना आवश्यक है केवल यह लिख देना कि तीन पंचों द्वारा मौका निरीक्षण किया जाये, पर्याप्त नहीं है। मौका निरीक्षण पर तीन व्यक्तियों के हस्ताक्षर पूर्व नामांकन का स्थानापन्न नहीं हो सकते। बिना नामांकन के यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि ये वहीं पंच थे जिनेस निरीक्षण करवाया जाना था अथवा ने निष्पक्ष एवं अधिकृत पंच थे। जहां विधि किसी कार्य को निश्चित प्रक्रिया से करने का प्रावधान करती है, वहा उस प्रक्रिया का कठोरता से पालन किया जाना आवश्यक है। प्रक्रिया का उल्लंघन होने पर की गई कार्यवाही विधिसम्मत साक्ष्य का रूप नहीं ले सकती। ऐसी स्थिति में मौका रिपोर्ट की सम्पूर्ण कार्रवाई सन्देहास्पद हो जाती है। हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टे की मिसल में प्रश्नगत भूमि का नक्शा तैयार किया गया परन्तु उक्त नक्शे पर नक्शा तैयार करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं है और सायल के भी हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इस प्रकार उक्त नक्शा बिना किसी व्यक्ति की पहचान, बिना उत्तरदायित्व तय किये रिकॉर्ड पर लिया गया है। विधि का स्थापित सिद्धान्त है कि कोई भी नक्शा, रिपोर्ट या दस्तावेज तभी विधि सम्मत माना जा सकता है जब उस पर उसे तैयार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर हो। हस्ताक्षर का उद्देश्य उस नक्शे की प्रमाणिकता, उसकी जिम्मेदारी एवं उसकी सत्यता को सुनिश्चित करना है। जिस नक्शे पर निर्माता तथा सायल के हस्ताक्षर न हो तो वह नक्शा अविश्वसनीय, विधिक साक्ष्य के रूप में अमान्य माना जाता है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ पूर्व में जारी पट्टे की प्रति पेश की, उसके साथ सम्बन्धित भूमि का पृथक से कोई नक्शा आवेदन पेश नहीं किया। आवेदक ने ग्राम पंचायत से उसी भूमि का पुनः नया पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया पंचायती राज नियमों में स्थल निरीक्षण, नक्शा तैयार करने और उसके लिए निर्धारित शुल्क जमा कराने के स्पष्ट एवं अनिवार्य प्रावधान विद्यमान है। उक्त नियम में कही भी यह अपवाद नहीं दिया गया है कि यदि भूमि पर पूर्व में पट्टा जारी हो चुका हो, तो स्थल निरीक्षण एवं नक्शा शुल्क में छूट होगी। इसके अतिरिक्त पूर्व में जारी पट्टे का वैधानिक महत्व होते हुये पुनः उसी भूमि का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। साथ ही प्रत्येक आवेदन एक स्वतंत्र कार्यवाही



*(Handwritten signature)*

है और उसके लिये प्रत्येक आवेदन पर पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रक्रिया की अक्षरशः पालना करना आवश्यक है। बिना उस प्रक्रिया की पालना किये जारी पट्टा विधिसम्मत नहीं माना जाता है।

यह सुस्थापित विधि है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र में सफल होने के लिये नजरसानी निर्णय को देखने मात्र से त्रुटि प्रकट होना आवश्यक है। ऐसी त्रुटि जो कि स्वयं प्रमाणित नहीं है एवं जिसका निर्धारण तर्क संगत प्रक्रिया से करना होता है। वह अभिलेख को देखने मात्र से प्रकट होने वाली त्रुटि की परिधि में नहीं आती है। आलोच्य निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण अलग हो सकता है। किन्तु नजरसानी का आधार नहीं हो सकता। इस प्रकार पुनर्विलोकन का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर. आर.टी 2005 (1) पृष्ठ 545 सुरेन्द कुमार वकील एवं अन्य बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश एवं अन्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous. इसके अतिरिक्त ए.आई. आर 2014 एस.सी. (सप्ली.) 254 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया है कि - Mere disagreement with view expressed in judgment - or that other view is possible - Not ground to invoke review jurisdiction - Review jurisdiction can be exercised only when there is glaring omission or patent mistake or when a grave error has crept in judgment.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 1997 (8) एस.सी.सी. पृष्ठ 715 परसियन देवी व अन्य बनाम सुमित्री देवी व अन्य में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - Review Scope of Jurisdiction-Mistake or error apparent on the face of the record - Is one which is self - evident and does not require a process of reasoning - Distinct from erroneous decision - So rehearing the matter for detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of review jurisdiction - Review jurisdiction cannot be used as appellate jurisdiction.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 455 श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि - Review - Error apparent on face of record - Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions. साथ ही 2005(1) आर.आर.टी. पेज 545 में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि "that even if a erroneous view taken on a particular issue, it cannot be a ground for review.

उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व में समस्त अभिलेखों का सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त यह स्पष्ट है कि प्रकरण में पूर्व में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया, और निर्णय देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हमारे समक्ष आलेच्य निर्णय में ऐसी कोई त्रुटि प्रस्तुत करने में




*[Handwritten signature]*

सफल नहीं हो पाये जिससे आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। उपरोक्त आलोक में आलोच्य निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सम्यक् एवं विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया तर्कसंगत एवं विधिक बिन्दुओं पर आधारित है, जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की त्रुटि अभिलेख पर प्रकट नहीं होती है। नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य निर्णय निरस्त करने का कोई समुचित एवं न्यायोचित कारण प्रकट नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय के प्रकरण संख्या 133/2022 अनवान सुदर्शन सोलंकी बनाम रतनलाल वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2025 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार, पाली में भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30/12/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



  
(डॉ. बजरंग सिंह)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
अति. जिला कलक्टर, पाली